

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जनवरी 2011—पौष 13, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. 39-4-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 दिसम्बर 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०११

मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) अधिनियम, २०१०

[दिनांक ३० दिसम्बर २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३ जनवरी २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ को निरसित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से अभिप्रेत है, धारा १ की उपधारा (२) के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख;

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २ सन् १९७७) की धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) नियत दिन को मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, १९७६ (क्रमांक २ सन् १९७७) निरसित हो जाएगा और निगम विघटित हो जाएगा.

(२) निगम की समस्त आस्तियां तथा दायित्व नियत दिन को राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे तथा राज्य सरकार को ऐसी समस्त आस्तियों को कब्जे में लेने, वसूल करने और संव्यवहार करने तथा ऐसे दायित्वों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक शक्तियां होंगी.

(३) इस निरसन से,—

(क) किसी अन्य अधिनियमिनि जिसमें निरसित अधिनियमिनि लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात के परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध कारित किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किन्हीं विधिक कार्यवाहियों या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां या उपचार इस प्रकार जारी रखे जा सकेंगे या प्रवर्तित किये जा सकेंगे मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्र. 40-4-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 1, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH RAJYA BHUMI VIKAS NIGAM (NIRSAN)
ADHINIYAM, 2010.**

[Received the assent of the Governor on the 30th December, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 3rd January, 2011].

An Act to repeal the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam (Nirsan) Adhiniyam, 2010. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

Definitions.

(a) "appointed day" means the date of commencement of this Act under sub-section (2) of Section 1;

(b) "Nigam" means the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam established under Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976 (No. 2 of 1977).

3. (1) On the appointed day the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976 (No. 2 of 1977) shall stand repealed and the Nigam shall stand dissolved. **Repeal and Saving.**

(2) All assets and liabilities of the Nigam on the appointed day shall stand vested in the State Government and the State Government shall have all powers necessary to take possession, recover and deal with such assets and discharge such liabilities.

(3) The repeal shall not affect,—

(a) any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the act so repealed; or
- (c) the previous operation of the Act so repealed or consequences of any thing already done or suffered thereunder; or
- (d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the Act so repealed; or
- (e) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and any such legal proceedings or remedy may be continued or enforced as if this Act had not been passed.